# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
## सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 **PIN Code: 231217** **Email:** dforkt@yahoo.co.in


पत्रांक–२०८१ / रेनुकूट / 15–6 रेनुकूट,दिनांक, ०१-०१- ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजारपुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– Diversion of 146.31 ha of forest land for construction of Rihand Thermal Power Project Stage-III(2x500 MW) Ash Dam and Ash Pipe Line in favour of in favour of NTPC in the Sonebhadra district of Uttar Pradesh-constitution of committee-reg.

संदर्भः– 1–एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक– 16.11.2017 के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र संख्या–8–412 / 1989– एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 06.12.2017

3–भारत सरकार का उक्त पत्र दिनांक– 06.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक– 14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक–1607 / 11–सी–बैठक दिनांक– 12 / 14.12. 2017

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में एफ0एस0सी0 की बैठक दिनांक–16.11.2017 के क्रम में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 06.12.2017, व मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक– 14.12.2017 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :–

1–भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें ।

2– एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगें ।

3– **एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी** ।

4– एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।

5– संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी , जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

6— एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

7— एन0टी0पी0सी0 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक— 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

8— भारत सरकार के पत्र दिनांक— 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एश डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 के नामित अधिकारियो के साथ विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी म्योरपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया । संयुक्त निरीक्षणोपरान्त स्थिति निम्नानुसार है :—

(1) भारत सरकार द्वारा उक्त बिन्दु संख्या—1 में अंकित 744 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक— 23.08.1991 को जारी की गयी । उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अंकित 744 हे0 वन भूमि में से 555.759 हे0 (धारा—4 में विज्ञापित वन भूमि ) का उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा गैर वानिकी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तथा(744हे—555.759हे0) 188.241 हे0 (धारा—20 में विज्ञापित वन भूमि ) का उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा नही की जा रही है जिसे उक्त बिन्दु संख्या—3 के अनुपालन में **आपके माध्यम से वन विभाग के पक्ष में वापसी लिये जाने हेतु हस्तान्तरण की कार्यदाही पूर्ण की जानी है** ।

(2) संयुक्त रूप से तैयार किये गये प्रमाण—पत्र को सत्यापित करते हुए चेक लिस्ट के अनुसार अन्य आवश्यक अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

(3) उक्त 188.241 हे0 वन भूमि को वन विभाग द्वारा वापस लिये जाने के उपरान्त अन्य बिन्दुओ से संबंधित सूचना/प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 के स्तर से प्रभाग में उपलब्ध कराये जाने पर उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी उक्त पत्र दिनांक— 06.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी कार्यवृत्त दिनांक— 14.12.2017 के बिन्दु संख्या—3 के अनुपालन में 188.241 हे0 खाली पड़ी एवं एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में न लायी जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस लिये जाने हेतु उचित निर्देश देने की कृपा करे ।

**संलग्नकः—उपरोक्तानुसार दो प्रतियो में** ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

2081

**संख्या— अ/सम दिनांकित** ।

प्रतिलिपि : उप महाप्रबन्धक(मा0सं0) एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर जिला—सोनभद्र को उनके पत्र दिनांक— 28.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी उक्त कार्यवृत्त के अन्य बिन्दुओ से संबंधित सूचना/प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करे । इस संबंध में पूर्व के विभिन्न पत्रो का अवलोकर कर ले ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट